

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.4(3)नविवि/II/2021पार्ट

जयपुर, दिनांक: 22 MAR 2022

आदेश

प्रशासनिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये श्री पी.के. जैन, (मुख्य अभियन्ता) अतिरिक्त परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर को अपने कार्य के साथ-साथ अग्रिम आदेशों तक नगर निगम, भरतपुर एवं नगर विकास न्यास, भरतपुर में अभियांत्रिकी कार्य सम्पादित करने के आदेश एतद्वारा जारी किये जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(अवधेश सिंह)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. दिशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, भरतपुर/अध्यक्ष, नगर विकास न्यास, भरतपुर।
6. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
7. आयुक्त, नगर निगम, भरतपुर।
8. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, भरतपुर।
10. श्री पी.के. जैन, (मुख्य अभियन्ता) अतिरिक्त परियोजना निदेशक, आर.यू.आई.डी.पी., जयपुर।
11. निजी पत्रावली।



सहायक शासन सचिव-द्वितीय